"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2013—फाल्गुन 10, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजभवन, रायपुर
राज्यपाल का संचिवालय छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/एफ 57-2/रास/स्था./2011.—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 28 की उपधारा (1) और (2) (i) से (iv) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल का सचिवालय सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति तथा शुल्क एवं लागत) नियम 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 3 में शब्द "समतुल्य राशि का न्यायिकेत्तर मुद्रांक" के पश्चात् "अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर" जोड़ा जावे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

No./F-57-2/GS/2011.—In exercise of the powers conferred by clause (1) and (2) (i) to (iv) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Governor's Secretariat Chhattisgarh Right to Information (Submission of application and fee and cost) Rule 2009, namely :—

AMENDMENT

In rule 3 after the word "Non Judicial Stamp of the same amount" the word "or Inidan Postal Order" shall be added.

एस. के. चौधरी,
राज्यपाल के अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2007) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA), रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी, आदेश तक, पदेन अतिरिक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्रमांक 71/726/2012/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 24-12-2012 से 29-12-2012 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक 93/51/2013/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 21-01-2013 से 24-01-2013 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19, 20, 25, 26 एवं 27-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जोशी आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री सचिवालय में अवर सचिव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक 1133/डी-432/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 84/II-2-30/2001/गोपनीय/2013 दिनांक 06-02-2013 के अनुपालन में, इस विभाग के आदेश क्रमांक 7067/21-ब/छ.ग./2005 दिनांक 2-9-2005 द्वारा राज्यपाल सचिवालय में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उच्च न्यायायिक सेवा के अधिकारी श्री टी. के. चक्रवर्ती के सेवायें, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर से वापस लेते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर को वापस सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-41/2012/तक.शि./42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 01 जून, 2007 से प्रवृत्त होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-तीन (क) में,—

सरल क्रमांक 1, 2 एवं 3 के कॉलम (7) में, शब्द "संचालक, तकनीकी शिक्षा" के स्थान पर शब्द "संस्था प्रमुख" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. F 1-41/2012/T.E./42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Technical Education, (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2007. This notification shall come into force with effect from 1st June 2007, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-III (A) of the said rules,—

In column (7) of serial number 1, 2 and 3, for the words "Director, Technical Education" the words "Head of the Institute" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 9-02/2012/तक.शि./42.—छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) के अध्याय-तीन की धारा 8 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने निजी गैर-अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में स्नातक (बी.ई., बी.फार्मेसी, बी.आर्क), स्नातकोत्तर (एम.ई., एम. टेक, एम.फार्मा, एम.बी.ए., एम.सी.ए. आदि) तथा डिप्लोमा (अभियांत्रिकी/गैर-अभियांत्रिकी, फार्मेसी आदि तथा पी.जी.डी.एम.) स्तरीय विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए शासकीय संस्थाओं में यथा प्रचलित आरक्षण की नीति को क्रियान्वित करने का विनिश्चय किया है.

शैक्षणिक सत्र 2013-14 से निजी गैर-अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रमवार कुल स्वीकृत सीटों का क्रमश: 12 प्रतिशत, 32 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेगी.

किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर, उनको (उन सीटों को) शासकीय संस्थाओं में प्रचलित नियम के अनुसार अन्य या सामान्य वर्ग से भरा जायेगा.

अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में, निर्धारित 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक सीटों में आरक्षण नहीं रहेगा परंतु शेष सीटों के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षण रहेगा.

No. F 9-02/2012/T.E./42.—As per the provisions contained in the Section 8 of Chapter-III of the Chhattisgarh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Act, 2008 (No. 11 of 2008), the Government has decided to implement the policy of reservation in private unaided technical educational institutions as prevalent in Government institutions for admission in various techinical programmes at Graduate (B.E., B. Pharmacy, B.Arch.), Post Graduate (M.E., M.Tech., M. Pharma, M.B.A., M.C.A. etc.) and Diploma level (Engineering/Non-Engineering, Pharmacy etc. and P.G.D.M.).

From academic session 2013-14 and onwards 12%, 32% and 14% of total sanctioned seats in different courses provided by private unaided technical educational institutions shall be reserved for the candidates of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC) respectively for the purpose of admission in the State.

In case of seats reserved seats for a particular category falling vacant, shall be filled by other or General category as per rules prevalent in Government institutions.

In cases of minority institution, there shall be no reservation in the 50% seats reserved for the minority community :

Provided that, there shall be reservation as prescribed above for the rest of the seats.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 9-59/2012/तक.शि./42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय संवर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2005 से प्रवृत्त होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-तीन (ख) में,—

सरल क्रमांक 1, 2 एवं 3 के कॉलम (6) में, शब्द "संचालक, तकनीकी शिक्षा" के स्थान पर शब्द "संस्था प्रमुख" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. F 9-59/2012/T.E./42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Technical Education, Class-III (Ministerial Cadre) Service Recruitment Rules, 2005. This notification shall come into force with effect from 20th September 2005, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-III (B) of the said rules,—

In column (6) of serial number 1, 2 and 3, for the words "Director, Technical Education" the words "Head of the Institute" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-80/2012/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 63) की धारा 40-ख की उपधारा (1) के खंड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कारखानों के अधिष्ठाताओं से यह अपेक्षा/अधिकृत रूप से यह मांग करती है कि वे उक्त अनुसूची के कालम (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संख्या में सुरक्षा अधिकारी अधिकारियों को नियोजित करें.

No. F 1-80/2012/16.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 40-B of the Factories Act, 1948 (No. LXII of 1948), and in supersession of all previous notifications issued on the subject, the State Government, hereby requires that the occupiers of the factories specified in column (2) of the schedule below shall employ such number of Safety Officer/Officers as specified in corresponding entry in column (5) of the said schedule, namely :—

क्र.	कारखाने का नाम व पता	श्रमिक संख्या	विनिर्माण प्रक्रिया	सुरक्षा अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	जिला-बिलासपुर (छ.ग.)			
1.	मेसर्स-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पोस्ट-उज्जवलनगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	2002	विद्युत उत्पादन	2
	जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)			
2.	मेसर्स-लाफार्ज इंडिया प्रा. लि., आरसमेटा सीमेन्ट प्लांट, गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	1158	सीमेंट उत्पादन	2
3.	मेसर्स-के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लि., ग्राम/पोस्ट-नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	10000	विद्युत उत्पादन	10
4.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, पोस्ट-चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	4520	विद्युत उत्पादन	5
5.	मध्यभारत पेपर्स लिमिटेड, ग्राम-बिरगहनी, चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	5000	विद्युत उत्पादन	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	मेसर्स-आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि., ग्राम-मुचपिंडा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	1200	विद्युत उत्पादन	2
7.	मेसर्स-2×500 मेगावाट MTTPP, CGPGCL एग्राम-मड़वा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2889	विद्युत उत्पादन	3

जिला-दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	ए.सी.सी. जामूल सीमेंट वर्क्स, जामूल जिला-दुर्ग	2000	सीमेंट निर्माण	01
9.	भिलाई जे.पी.ग्राइंडिंग प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट परिसर, भिलाई.	1000	सीमेंट	01
10.	एनटीपीसी सेल पावर क्र. प्राय. लिमि. भिलाई	1000	पावर जनरेशन	01
11.	जय बालाजी इण्ड. लिमि. बोरई जिला दुर्ग	1000	स्पंज आयरन एवं पावर जनरेशन	01
12.	रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमि. इण्ड. ग्रोथसेंटर, बोरई जिला दुर्ग सेंटर, बोरई जिला-दुर्ग.	1000	स्पंज आयरन, पावर जनरेशन	01
13.	भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि. भिलाई	1400	फेब्रीकेशन	01
14.	स्टील मेल्टिंग शॉप 1 भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	1500	स्टील मेल्टिंग	01
15.	रेल एण्ड स्ट्रक्चरल मिल, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	2000	रेल एण्ड स्ट्रक्चर्स	01
16.	ब्लास्ट फर्नेस 1 से 6, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	1500	पिग आयरन	01
17.	कंटीनिवस कॉस्टिंग शाप, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	2000	स्टील स्लेब एंड ब्लूम्स	01
18.	प्लेट मिल, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	2000	स्टील प्लेट	01
19.	कोक ओव्हंस, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	5000	प्रोडेक्शन आफ कोक, कोल हेण्डलिंग.	03

जिला-कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	मेसर्स-4×210 मेगावाट, हसदेव ताप विद्युत गृह, छ.ग.रा. विद्युत कं. मर्या., दर्री, कोरबा पश्चिम, जिला-कोरबा (छ.ग.).	3123	विद्युत उत्पादन	03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	मेसर्स-फेब्रीकेशन प्लांट, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट-बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1590	Aluminium alloyas Pigs, aluminium re-drawn rods by continous casting and rolling in foundry and Steel rolling shop.	02
22.	मेसर्स-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विकास भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.)	3089	विद्युत उत्पादन	03
23.	मेसर्स-लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ग्राम-पताढ़ी, पोस्ट-तिलकेजा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1000	विद्युत उत्पादन	02
24.	मेसर्स-एल्युमिना संयंत्र, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट-बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1000	Central Workshop, Steam Plant, Compressor House, Water Treatment Plant.	01
25.	मेसर्स-स्मेल्टर-1, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लीमिटेड, पोस्ट-बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	5000	Primary Aluminium production through modern pre Balked Technology.	01
26.	मेसर्स-स्मेल्टर-2, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट-बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	5000	Primary Aluminium production through modern pre Balked Technology.	01
	जिला-रायगढ़			
27.	मे. जिंदल स्टील एंड पावर लि., यूनिट-1, खरसिया रोड, रायगढ़.	1100	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट	3
28.	मे. जिंदल स्टील एंड पावर लि., यूनिट-2, खरसिया रोड, रायगढ़.	1100	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट	3
29.	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि., एक्सपेंशन ऑफ यूनिट ३ (प्री फेब्रीकेशन प्लांट) पूंजीपतरा, रायगढ़.	2000	फेब्रीकेशन	2
30.	मे. जिंदल पावर लि., तमनार, रायगढ़	1807	पावर जनरेशन	2
31.	नलवा स्टील एंड पावर लि., तराईमाल, रायगढ़	1108	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट	2
32.	मे. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि., नहरपाली, रायगढ़	3300	स्पांज आयरन एंड पावर जनरेशन (निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)	5

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन कुमार, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतालाब प. ह. नं. 104	372/1	0.089	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक-1, रायपुर.	मिश्रित आवासीय योजना हेतु भू-अर्जन.
			372/2	0.007		
			372/3	0.049		
			372/4	0.025		
			372/5	0.202		
			372/6	0.089		
			372/7	0.121		
			372/8	0.092		
			372/9	0.024		
			373/1	0.172		
			373/2	0.262		
			373/3	0.092		
			373/4	0.050		
			373/5	0.042		
			373/6	0.037		
			373/7	0.056		
			374/1	0.511		
			374/2	0.322		
			374/3	0.008		
			387/3	0.089		
			387/4, 387/5, II 388/4	3.341		
			387/6, II 388/16	0.007		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			387/7, II 388/17	0.007		
			388/2, 388/3	2.198		
			388/5	0.004		
			388/6	0.178		
			388/7	0.012		
			388/8	0.032		
			388/9	1.093		
			388/10	0.129		
			388/11	0.951		
			388/12	0.918		
			388/13	0.077		
			388/14	0.397		
			388/15	1.728		
			388/18	0.203		
			388/19	0.203		
			388/20	0.203		
			388/21	0.203		
			388/22	0.405		
			388/23	0.572		
			388/24	0.203		
			388/25	0.203		
		योग	43	15.606		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक/14/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अछोला प. ह. नं. 5	1.26	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	समोदा बैराज से ग्राम अछोला तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक/15/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अछोला प. ह. नं. 5	0.40	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम अछोला से महामाया मंदिर तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक/299/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बागनारा प. ह. नं. 14	0.529	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक/300/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	डोंगाघाट प. ह. नं. 14	3.989	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक/301/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बिहरीकला प. ह. नं. 19	4.103	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक/302/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	दुर्रेटोला प. ह. नं. 21	3.079	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक/303/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बिहरीखुर्द प. ह. नं. 19	2.135	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बिहरीखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/378/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुंगेरीनवागांव प. ह. नं. 20	0.178	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के गुंगेरीनवागांव माइनर अन्तर्गत के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/379/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुंगेरीनवागांव प. ह. नं. 20	0.141	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरगांव माइनर अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्रमांक/405/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बिरखा प. ह. नं. 07	6.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	सुरही एनीकट के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/374/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीकला, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.409 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	706	0.064
	769	0.048
	774/1	0.312
	469	0.056
	416/2	0.039
	1078/4	0.048
	442/2	0.104
	1085/3	0.040
	746/2	0.040
	705/1	0.040
	704/5	0.020
	737	0.020
	783/3	0.101
	704/6	0.045
	475/1	0.102
	475/7	0.084
	475/9	0.057
	476/6	0.008
	669/4	0.100
	669/5	0.081
योग	20	1.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/375/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बीजेपार, प.ह.नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	666/8	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/376/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प.ह.नं. 63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	469	0.096
	497/1	0.065
योग	2	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/377/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गोटाटोला, प.ह.नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	98/14	0.052
योग	1	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/380/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-दोड़के, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-07 मकान

मकान नम्बर	अर्जित (मकान में) संख्या
(1)	(2)
01	01

	(1)	(2)
	02	01
	03	01
	04	01
	05	01
	06	01
	07	01
योग	07	07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/381/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-कातुलवाड़ा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.863 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	242/1	0.073
	242/3	0.097
	242/2	0.186
	222	0.016
	223/2	C.004
	24/2	[illegible]
	223/3	0.121
	221	0.222
	217	0.121
	215/17	0.004
	180/14	0.036
	218	0.041
	27	0.012
	202/1	0.113
	199	0.073
	189	0.085
	16/1	0.045
	192	0.093
	193/2	0.045
	14/1	0.113
	15/1	0.053
	9/2	0.154
	15/2	0.077
	15/4	0.069
	15/3	0.024
	9/1	0.085
	8	0.230
	194/1	0.004
	216	0.077
	200/2	0.093
	24/1	0.045
	24/4	0.016
	23	0.202
	24/3	0.036
	190/3	0.081
	203	0.032
योग	36	2.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत कातुलवाड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक/382/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरखार, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.425 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66	0.162
164	0.211
168/2	0.024
52	0.093
56	0.012
155	0.243
43	0.081
131	0.154
257/5	0.004
132/6	0.330
132/10	0.044
132/8	0.008
59	0.121
69	0.036
70	0.004
64	0.137
263	0.040
55	0.089
67/1	0.125
65	0.041
120/2	0.081
89	0.178
22	0.182
90	0.218
86	0.008
91/1	0.081
21	0.012
91/3	0.021
102	0.162
99	0.053
53	0.142
206	0.202
207	0.041
208/1	0.162
208/2	0.037
214	0.202
215/1	0.065
215/2	0.154
246	0.012
245	0.117
243	0.016
240	0.093
244	0.117
241	0.053
123/2	0.028
123/3	0.032
120/1	0.194
14/14	0.004
23/2	0.097
23/4	0.012
23/1	0.040
23/3	0.049
24	0.012
61	0.032
71	0.142
63	0.061
101	0.154
239/2	0.036
92/2	0.004
98/2	0.032
62/1	0.066
44/4	0.049
132/5	0.004
205/1	0.049
205/2	0.012
203	0.085
268	0.028
195/1	0.028
195/2	0.073

(1)	(2)
257/6	0.069
262	0.045
267/2	0.020
300	0.016
204/3	0.008
259/1	0.008
259/2	0.089
257/7	0.049
261	0.045
196	0.004
267/3	0.202
193/1	0.057
193/2	0.057
193/3	0.065
योग 83	6.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत परसाटोला माइनर के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.